3/12/19 - उभय पक्ष उप. और अभियोगी संख्या 4 की तलबी शेष साक्ष्य प्रमाण है और उससे प्रभावित नहीं होगा और हितधुर हित रखते हुए निर्णय पारित हो। वकील प्रार्थी ने बहस समाहित की गई, बहस में प्रार्थी-पक्ष के तथ्यों को दोहराते हुए

कथन किया कि हमारी आपस में सहमति है सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है व सहमति दोनों पक्षों में हो चुकी है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट व सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल हो। तहसील द्वारा संशोधन अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जाकर दाखिल दफ्तर हो।